न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 25/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. ढगलसिंह पुत्र भोपालसिंह		1. सरकार जरिये प्रतिनिधी जिलाधीश पाली
2. रामसिंह पुत्र भोपालसिंह जातिगण राजपूत निवासीगण खारिया नींव तहसील सोजत		2. तहसीलदार सोजत (भू–धारक)

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :
श्री दौलत मकवाना, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 13.5.2018

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 244/2008 ढगलसिंह वगैरा बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.08.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किय। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खारिया नींव के पुराने खसरा नम्बर 126 रकबा 64 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 127 रकबा 42 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 158 रकबा 39 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 146 रकबा 10 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 124 रकबा 0.05 बिस्वा की भूमि अपीलाण्ट के पिता भोपालसिंह की सह खातेदारी भूमि थी, जिसमें अपीलाण्ट्स के पिता का 2/3 हिस्सा निहित था। गत सेटलमेन्ट के दौरान उपरोक्त खसरा नम्बरान के नये नम्बर तहरीर किए गए, इस बाबत मिलान क्षेत्रफल की प्रति राजस्व रेकर्ड एवं अभिलेखागार में उपलब्ध ही नहीं है। सम्बन्धित विभाग से जो खसरा पत्रक अपीलाण्ट को उपलब्ध करवाया गया है, उसके अनुसार खसरा नम्बर 126 के नये खसरा नम्बर 335, 336, 337, 341, 345 व 347 कायम हुए। इसी प्रकार खसरा नम्बर 127 के नये खसरा नम्बर 333 व 347 कायम हुए। खसरा नम्बर 158 के हाल खसरा नम्बर 342, 343 व 344 बने एवं खसरा नम्बर 124 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

हाल खसरा नम्बर 338 व 339 बने। उक्त भूमि गत खसरा नम्बरान् की अनुसार अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि है। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर तहरीर करते समय हाल खसरा नम्बर 347 रकबा 1.28 हैक्टेयर की भूमि को बिना किसी सक्षम आदेश के अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि से विलोपित करते हुए राजस्व रेकर्ड में ग्राम पंचायत खारिया नींव के नाम दर्ज कर दी तथा उक्त भूमि कि किस्म गै0मु0 दर्ज की। अपीलाण्ट द्वारा सेटलमेन्ट विभाग द्वारा की गई उक्त त्रुटी को दुरूस्त करने एवं उक्त भूमि को पुनः अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि में दर्ज करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। उक्त भूमि ग्राम पंचायत के नाम किस आदेश से दर्ज हुई, इसका कोई अंकन ही नहीं है तथा न ही ऐसा कोई आदेश है। इसके बावजूद भी भूमि को अपीलाण्ट की खातेदारी से हटा कर ग्राम पंचायत के नाम दर्ज कर दिया गया। भू–प्रबन्ध अधिकारियों को इस प्रकार का कोई आदेश पारित करने का अधिकार ही नहीं था। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त समस्त तथ्यों को रेखांकित किया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो तनकीयात को विनिश्चित किया गया तथा न ही साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। मात्र राजस्व लोक अदालत में प्रकरणों को निर्णित करने की मंशा से जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें तथा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त कराते हुए अपीलाण्ट का वाद डिक्री करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलाण्ट द्वारा जिस भूमि की खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा गया है, वह राजस्व रेकर्ड में गै0मु0 गोचर के रूप में ग्राम पंचायत खारिया नींव के खाते में दर्ज है। चूंकि गै0मु0 गोचर की भूमि आवंटन नियमन सहित खातेदारी अधिकार प्रदान करने से भी प्रतिबन्धित है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह साबित होता हो कि जिस विवादित आराजी को अपीलाण्ट अपनी बता रहे है, वह सेटलमेन्ट से पूर्व अपीलाण्ट की खातेदारी भूमि रही हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजात् का समुचित परीक्षण कर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया है, उसका मुख्य आधार यह अंकित किया कि हाल खसरा नम्बर 347 की भूमि गत सेटलमेन्ट के अनुसार अपने पिता भोपालसिंह की खातेदारी होना बताते हुए उक्त भूमि विधि विरूद्ध रूप से गोचर के रूप में राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने के कारण उक्त भूमि के खातेदारी अधिकारों की घोषणा अपीलाण्ट्स के पक्ष में किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष के अभिवचनों के आधार पर जो तनकीयात कायम की गई, उनका न तो विवेचन किया एवं न ही साक्ष्यों के आधार पर उनका विश्लेषण किया। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के अनुसार प्रत्येक तनकी पर न्यायालय को अपना अभितम प्रकट करते हुए उस तनकी का विनिश्चय करना आज्ञापक

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

है। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, उसमें न तो दस्तावेती साक्ष्यों का अवलोकन किया गया है एवं न ही मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण किया गया। जब कोई वाद न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होता है एवं उनमें कोई विधिक बिन्दु निहित हो, तो न्यायालय का यह दायित्व होता है कि वह विधिक दृष्टिकोण से पक्षकारान् को न्याय प्रदान करने की कार्यवाही करें, किन्तु हस्तगत प्रकरण में जो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, उसमें विधिक दृष्टिकोण एवं प्रक्रिया का पूर्णतः अभाव पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्यों का परीक्षण किए, बिना तनकीयात विनिश्चित किए जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जिसे किसी भी दृष्टिकोण से यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) सोजत द्वारा राजस्व वाद संख्या 244/2008 ढगलसिंह वगैरा बनाम सरकार वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23.08.2016 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उपरोक्त Observation के आधार पर पक्षकारान् को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधि में प्रदत्त प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली